मध्यप्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी

संघ मर्यादित, बुरहानपुर

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत

पंजीयन क्र. D.R./K.W.A/42 दिनांक 01.03.1973

उपविधि

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, म.प्र.

क्रमांक / विविध–2 / 2007 / भोपाल, दिनांक:

आदेश

म.प्र. राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित बुरहानपुर की वार्षिक आमसभा दिनांक 26 जून 2006 के विषय क्रमांक 3 में संघ की उपविधि स्वीकृत करते हुए संघ ने अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक / विधि / 06 / 195 बुरहानपुर दिनांक 10 / 7 / 06 से प्रस्ताव प्रेषित कर प्रस्तावित उपविधि स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया। प्रस्तावित उपविधि अनुसार प्रस्तावित संशोधनों का परीक्षण किया गया।

अतः मैं प्रभात पाराशर, पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र., म.प्र. सहकारी सोसाईटी अधिनियम की धारा 11(2) के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार कर म.प्र.राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित बुरहानपुर द्वारा प्रस्ताव उपविधियों को स्वीकृत कर वर्तमान उपविधियों के स्थान पर प्रतिस्थापित करता हूँ।

उक्त आदेश दिनांक 30 / 07 / 2007 से प्रभावशील होगा।

(प्रभात पाराशर)
आयुक्त एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थायें, म.प्र.

क्रमांक / विविध–2 / 2007 / 296 भोपाल, दिनांक: 30-7-2007

प्रतिलिपि:–

1/ प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।
2/ आयुक्त, उद्योग संचालनालय म.प्र. शासन वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग (पावरलूम कक्ष) भोपाल।
3/ प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित, बुरहानपुर म.प्र.।
4/ उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें खण्डवा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थायें, म.प्र.

मध्यप्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित बुरहानपुर

उपविधि

(1) नाम पता एवं कार्यक्षेत्र :–

यह संस्था म.प्र. सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 (क. 17–1961) के अंतर्गत पंजीयन की गई है जिसे मध्यप्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित कहा जावेगा। संघ का पंजीयन कार्यालय बुरहानपुर जिले में स्थित रहेगा। संघ के उद्देश्यों की पूर्ति एवं व्यवसाय हेतु आवश्यकतानुसार कहीं भी क्षेत्रीय कार्यालय अथवा विक्रय केन्द्र की स्थापना की जा सकेगी। संघ का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश रहेगा।

(2) परिभाषाऐं :–

इन उपविधियों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(1) 'अधिनियम' का अर्थ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (1961 का 17 वां) से है।

(2) 'नियम' का अर्थ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी सोसायटी नियम 1962 से है।

(3) 'राज्य शासन' का अर्थ मध्यप्रदेश शासन से है।

(4) 'पंजीयक' का अर्थ पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, मध्यप्रदेश से है।

(5) 'आयुक्त' का अर्थ आयुक्त उद्योग संचलनालय म.प्र. भोपाल से है

(6) 'संघ' का अर्थ उपविधि कमांक 1 में वर्णित संघ से है।

(7) 'कार्यक्षेत्र' कार्यक्षेत्र से अभिप्रेत जहाँ से सदस्यता ली जाती है, या संघ की उपविधि कमांक · में विनिर्दिष्ट भौगोलिक इकाई से है।

(9) 'उपविधि' का अर्थ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 9 के अंतर्गत संस्था की पंजीकृत उपविधि से है।

(10) 'संचालक मण्डल' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत गठित संचालक मण्डल से है।

(11) 'विनिर्दिष्ट' पद से अभिप्रेत, संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से है।

बुनकर
बुरहानपुर

(12) 'प्रतिनिधि' से अभिप्राय है, संघ का ऐसा सदस्य जो इस सोसायटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसायटी में करे।

(13) 'प्रबंध संचालक' से तात्पर्य संघ के प्रबंध हेतु शासन द्वारा नियुक्त प्रबंध संचालक से है जो संचालक मण्डल के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अध्याधीन कार्य करेगा।

(14) 'कर्मचारी' का अर्थ प्रबंध समिति द्वारा संस्था के कार्य संचालन के लिए सेवा नियमों के अंतर्गत नियुक्त सेवायुक्त से है।

(15) 'सेवा नियम' का अर्थ अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश द्वारा प्रसारित सेवा नियमों से है।

(16) 'सहकारी वर्ष' से तात्पर्य 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है।

(17) 'शीर्ष बैंक' का अर्थ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल से है।

(18) 'सहकारी बैंक' का अर्थ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खण्डवा से है।

(19) 'वित्तदायी बैंक' से अभिप्रेत है कोई ऐसी बैंक जिसका उद्देश्य अन्य सोसायटीयों का या उसके व्यक्तिक सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों को सृजित करना है और उसके अंतर्गत आते है, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जो संघ को उसके कार्य व्यवहार हेतु ऋणों की आपूर्ति करते हैं।

(20) 'नाममात्र सदस्य' से तात्पर्य ऐसे सदस्य से है, जिसका संस्था के प्रबंध, निर्वाचन या लाभ में कोई भाग नही हैं।

(21) 'अनुसूचित क्षेत्र' से अभिप्रेत है, वह क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र आदेश 1977 के अधीन मध्यप्रदेश हेतु घोषित किया गया हो।

(22) 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग' से तात्पर्य जैसा की अधिनियम एवं नियम में वर्णित तथा मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना में वर्णित वर्गों से है।

(23) 'नगरीय क्षेत्र' से तात्पर्य नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित भाग से है।

अध्यक्ष
राज्य बाबरजूम बुनकर
... बुरहानपुर

उद्देश्य :-

संघ के निम्न उद्देश्य होंगे :-

1. पावरलूम वस्त्रोद्योग हेतु समस्त प्रकार के कच्चे माल एवं उपकरण क्रय कर उसे सदस्यों की आवश्यकतानुसार विक्रय करना।
2. सदस्यों द्वारा उत्पादित पावरलूम वस्त्रों को क्रय कर उसके विक्रय की व्यवस्था करना, जिससे सदस्यों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।
3. संघ की सदस्य पावरलूम बुनकर समितियों को आवश्यकतानुसार कच्चा माल जमानत पर व बुनाई मजदूरी पर उत्पादन करना।
4. संघ व सदस्यों के उत्पादन हेतु, सूत एवं वस्त्र प्रक्रिया हेतु प्लांट, मशीनरी क्रय करना अथवा किराये या पट्टे पर लेना, उन्हें सामूहिक उपयोगार्थ रखना या किराये पर देना। उक्त कार्य हेतु भूमि एवं भवन क्रय करना अथवा किराये पर या पट्टे पर लेना।
5. संघ द्वारा उत्पादित अथवा क्रय किये वस्त्रों की बिक्री व्यवस्था हेतु कमीशन एजेन्ट्स की नियुक्ति करना अथवा सेल्स कर्मचारियों की नियुक्ति करना एवं विक्रय केन्द्र प्रदेश या अन्य प्रांतों में खोलना।
6. संघ के माल को सुरक्षित रखने हेतु गोदाम निर्माण करना अथवा किराये या पट्टे पर लेना तथा सदस्यों का माल भंडारण (वेयर हाउसिंग) का कार्य करना तथा तारण पर ऋण देना।
7. राज्य शासन के निर्देश पर एवं सहायता से पावरलूम उद्योग को राहत देना, अथवा प्रगति हेतु ऐसे समस्त कार्य करना जो शासन द्वारा निर्देशित किए गए हों।
8. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण, अनुदान अथवा अन्य सुविधा स्वीकार करना।
9. ऐसे सभी कार्य करना जो संघ के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति अथवा पावरलूम वस्त्रोद्योग की उन्नती में सहायक हों।
10. पावरलूम वस्त्र उत्पादन हेतु सभी काउन्ट एवं प्रकार के सूत जैसे कॉटन पोलिस्टर एवं सिन्थेटिक्स आदि क्रय कर सहकारी समितियों, बुनकर सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति करने के उपरांत पावरलूम इकाईयों को भी विक्रय किया जा सकता है।

पावरलूम बुनकर
बुरहानपुर

सदस्यता :-

म.प्र. राज्य पावरलूम बुनकर संघ में निम्नानुसार सदस्य होंगे :-

1\. अ. 'अ' वर्ग के सदस्य प्रदेश की वे समस्त पावरलूम बुनकर सहकारी समितियॉं जिनके द्वारा पावरलूम वस्त्र उत्पादन किया जा रहा है तथा जो पावरलूम वस्त्रों की पूर्व प्रकिया अथवा उत्पादन के उपरांत की प्रकिया के लिए पंजीकृत सहकारी समितियॉं हों। सहकारी सूत मिल भी इस वर्ग के सदस्यों में शामिल होंगे।

ब. 'ब' वर्ग के सदस्य ऐसी रजिस्ट्रीकृत फर्म अथवा निगम निकाय होंगी जो पावरलूम वस्त्र उत्पादन अथवा पावरलूम वस्त्र उत्पादन, वस्त्र व सूत प्रक्रिया में कार्यरत् है।

स. राज्य शासन द्वारा संघ के हिस्से कय किये जा सकेगें और ऐसी स्थिति में राज्य शासन 'स' वर्ग का सदस्य होगा।

द. नाम मात्र सदस्य

सदस्यता की प्राप्ति :-

1\. संघ की सदस्यता की प्राप्ति करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संघ के अध्यक्ष के नाम प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक आवेदन पत्र का निराकरण संचालक मण्डल द्वारा किया जावेगा। सदस्यता स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार संचालक मण्डल को होगा। अस्वीकृति की दशा में प्रार्थी को निर्णय की लिखित सूचना 15 दिन में दी जावेगी, जिससे अस्वीकृति का कारण दर्शाया जावेगा।

2\. प्रत्येक सदस्य संघ का कम से कम एक अंश कय करेगा एवं संचालक मण्डल द्वारा निर्दिष्ट रूप से भुगतान करेगा। संघ सदस्यों द्वारा कय किये गये अंशों के अंश प्रमाण पत्र जारी करेगा। जिन सदस्यों द्वारा अपेक्षित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा निर्दिष्ट रूप से अंश राशि का भुगतान नहीं किया तो उन्हें चुनाव में भाग लेने अथवा मत देने का अधिकार नहीं होगा।

सदस्यता से त्याग पत्र :-

संघ का कोई भी सदस्य यदि संघ की सदस्यता छोड़ना चाहता हो तो उसे 3 माह का लिखित नोटिस संघ को देना होगा। यदि सदस्य द्वारा अपनी देनदारियॉं एवं दायित्वों का निपटारा कर दिया हो तो संचालक मंडल त्याग-पत्र स्वीकृत कर सकता है। किन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि संघ को प्राप्त शासकीय धनवेष्ठन द्वारा शासकीय प्रतिभूति की

पावरलूम बुनकर
बुरहानपुर

दशा में आयुक्त उद्योग संचालनालय म.प्र. भोपाल की अनुमति आवश्यक होगी एवं त्याग पत्र ऐसी अनुमति की तिथि से ही प्रभावशील माना जावेगा।

सदस्यता से निष्कासन :–

संघ का संचालक मंडल निम्न कारणों से बैठक में उपस्थित सदस्यों की तीन चौथाई मत द्वारा लिए गए निर्णयों द्वारा संघ के किसी भी सदस्य को सदस्यता से निष्कासित कर सकेगा :–

1. यदि वह लगातार संघ के देय धन का भुगतान करने में त्रुटि करता हो।
2. यदि वह संघ की प्रबन्ध व्यवस्था एवं उसके हितों को हानि पहुँचाता हो।
3. यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसने दिवालिया घोषित होने हेतु आवेदन पत्र दिया हो या किसी कानून के अधीन अनुबन्ध करने योग्य नहीं रहा हो।
4. यदि वह ऐसे अपराध में दण्डित किया गया हो जिसमें उसका नैतिक अधःपतन प्रमाणित हुआ हो।
5. जानबूझकर ऐसे कार्य करता हो जिससे संघ की साख या उसके हितों को धक्का लगने की संभावना हो।
6. संघ द्वारा किए जाने वाले व्यापार का प्रतिद्वन्दी हो या होने की संभावना पर।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई भी ठहराव वैध नहीं माना जावेगा जब तक कि सम्बंधित सदस्य को पंजीकृत डाक द्वारा निष्कासित किए जाने के प्रस्ताव के सात दिन पूर्व सूचना न दी गई हो और उसे इस संबंध में संचालक मंडल के समक्ष सुने जाने का अवसर दिया गया हो।

सदस्यता की समाप्ति :–

किसी सदस्य की सदस्यता निम्न स्थितियों में समाप्त मानी जावेगी।

1. सदस्य समिति के अथवा निगम निकाय के परिसमापन उपरांत।
2. सदस्य का एक अंश का स्वामी ना रहने पर।
3. सदस्यता से त्याग पत्र स्वीकार हो जाने पर.
4. उपविधि क्रमांक 7 के अनुसार बैठक में उपस्थित सदस्यों की तीन चौथाई बहुमत द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर सदस्यता से निकाल दिये जाने पर.
5. मृत्यु हो जाने पर.
6. म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम एवं नियम के तहत सदस्यता हेतु आपात्रता धारण करने पर.

अध्यक्ष
म. प्र. राज्य पावरलूम बुनकर
सहकारी संघ मर्या., बुरहानपुर

9) पूंजी :–
संघ निम्न साधनों से पूंजी एकत्रित करेगा :–

1. प्रवेश शुल्क द्वारा।
2. अंश बेच कर ।
3. सदस्यों से अमानत प्राप्त कर।
4. सहकारी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक एवं वित्तीय संस्था या निगम से ऋण प्राप्त कर।
5. शासन से ऋण एवं अनुदान प्राप्त कर।
6. अन्य स्त्रोतों से दान एवं अनुदान प्राप्त कर।

(10) अंश पूंजी :–

1. संघ की अधिकृत अंशपूंजी रुपये 5.00 करोड़ रुपये (पांच करोड़ रुपये मात्र) होगी जिसमें निम्न प्रकार के हिस्से होंगे :–

अ. 'अ' वर्ग के एक हिस्से का दर्शनीय मूल्य 1000/–(एक हजार रूपये मात्र) होगा ऐसे अंशों की संख्या 10000 होगी।

ब. 'ब' वर्ग के एक अंश का दर्शनीय मूल्य 500/–(पांच सौ रूपये मात्र) होगा। ऐसे अंशों की संख्या 2500 होगी।

स. 'स' वर्ग के एक अंश का दर्शनीय मूल्य 1000/–(एक हजार रूपये मात्र) होगा ऐसे अंशों की संख्या 37500 होगी।

द. नाम मात्र के अंश का दर्शनीय मूल्य 100/– (एक सौ रूपये) होगा।

2. प्रत्येक सदस्य को रूपये 5/–(पांच रूपये मात्र) प्रवेश शुल्क देना होगा। कम से कम एक अंश का क्रय करना आवश्यक होगा।

(11) सदस्य का दायित्व :–

संघ के 'अ', 'ब' वर्ग के सदस्य का दायित्व उसके द्वारा क्रय किये गये अंशों की राशि तक सीमित रहेगा, किन्तु जो संस्था से ऋण, अथवा अमानतें आदि ले, ऐसे सदस्य का दायित्व उनके अंशो के दर्शनीय मूल्य के दस गुने तक सीमित रहेगा।

(12) अंशों का धारण :–

'अ' वर्ग की पंजीकृत सहकारी समितियों एवं राज्य शासन को संघ के अंश धारण की कोई भी उपरी सीमा नहीं होगी। पावरलूम बुनकर सहकारी समितियों के लिए यह

म. प्र. राज्य पावरलूम बुनकर
सहकारी संघ मर्या. बुरहानपुर

आवश्यक होगा कि वे अपनी प्रदत्त अंशपूंजी का दस प्रतिशत हिस्सा संघ की अंशपूंजी में विनियोजित करें।

(13) अंशों का हस्तान्तरण :–

1. कोई भी सदस्य अपने अंश धारण करने के एक वर्ष पूर्व किसी भी अन्य को हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा। हस्तान्तरण केवल उसी वर्ग के सदस्य को ही किया जा सकता है, जो कि उस वर्ग का सदस्य हो अथवा संचालक मंडल द्वारा उसे उस वर्ग की सदस्यता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई हो। संचालक मंडल की पूर्वानुमति के बगैर कोई भी हस्तान्तरण वैध नहीं माना जावेगा।

2. प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य अपने एक उत्तराधिकारी को नामांकित कर सकेगा। दो सदस्यों की साक्ष्य आवश्यक होगी। प्रथम नामांकन निःशुल्क होगा किन्तु बाद में किए प्रत्येक परिर्वतन हेतु रूपये 5/–(पांच रूपये मात्र) का शुल्क जमा किया जाना होगा। सदस्य की मृत्यु उपरान्त नामांकित व्यक्ति को संचालक मंडल की स्वीकृति से अंश हस्तान्तरित अथवा वापस किया जा सकेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि सदस्य की मृत्यु एवं नामांकित व्यक्ति की पुष्टि दो सदस्यों द्वारा की जाना आवश्यक होगी।

3. किसी भी दशा में एक वर्ष में लौटाये जाने वाले अंशों की रकम संस्था की गतवर्ष की चुकाई गई अंशपूंजी के 1/5 से अधिक नहीं होगी।

4. किसी भी सदस्य समिति, फर्म अथवा निकाय के परिसमापन आदेश जारी होने पर उक्त सदस्य द्वारा धारित अंशों की रकम से संघ की लेनदारियों की राशि काटकर नियुक्त परिसमापक को आयुक्त, उद्योग संचालनालय म.प्र. भोपाल की पूर्वानुमति से सौंपी जावेगी।

(14) आम सभा :–

1. संघ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व 3 मास के भीतर अपने सदस्यों का साधारण सम्मेलन बुलायेगा।

2. संघ के कम से कम 10 प्रतिशत सदस्यों द्वारा लिखित मांग प्राप्त होने पर एक माह के भीतर अध्यक्ष/प्रबंध संचालक एक आमसभा अवश्य बुलावेगा।

3. यदि उपविधि क्रमांक 15(2) के अनुसार आमसभा नहीं बुलाई जाती है तो आयुक्त, उद्योग संचालनालय म.प्र. भोपाल अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी

संचालक
म. प्र. राज्य ... बुनकर
सहकारी संघ मर्या., बुरहानपुर

बैठक बुलाने का अधिकार होगा एवं ऐसी बुलाई गई बैठक संचालक मंडल द्वारा बुलाई गई विशेष आमसभा समझी जावेगी। ऐसी बुलाई गई विशेष आमसभा में केवल उन विषयों पर ही विचार किया जावेगा, जिस हेतु आवेदन किया गया है।

4. आमसभा की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष द्वारा की जावेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तथा दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों मे से चुना गया कोई भी सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा।

5. वार्षिक एवं विशेष आमसभा मे उपस्थित सदस्यों मे से प्रत्येक को केवल एक मत देने का अधिकार रहेगा। अध्यक्ष को, किसी विषय पर समान मत विभाजन की स्थिति में, एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

15) आमसभा की सूचना :-

1. आमसभा की सूचना उसकी विषय सूची सहित बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व संघ के समस्त सदस्य एवं प्रतिनिधियों को तथा आयुक्त, उद्योग संचालनालय म.प्र. भोपाल को डाक प्रमाण पत्र लेकर डाक द्वारा भेजी जावेगी। नाममात्र सदस्यों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

2. वार्षिक एवं विशेष आमसभा केवल संघ के मुख्यालय बुरहानपुर में ही आयोजित की जावेगी।

3. संघ की उपविधियों में संशोधन करने संबंधी बैठक की दशा में प्रत्येक सदस्य/प्रतिनिधि को निर्धारित अवधि पूर्व सूचना दी जावेगी एवं उसमें प्रस्तावित संशोधन का वर्णन किया जावेगा।

16) आमसभा का कोरम :-

आमसभा की सूचना पत्र देने की दिनांक को जो सदस्य/प्रतिनिधि संस्था होगी ऐसे कुल सदस्यों का 1/10 भाग आमसभा की गणपूर्ति मानी जावेगी। आमसभा निश्चित अवधि के लिए स्थगित की जावेगी, किन्तु स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी। स्थगित बैठक में केवल वे ही विषय लिए जा सकेंगे, जो सूचना में दिए गए हों, अर्थात अन्य विषय नहीं लिए जावेगें।

17) आमसभा का कार्य :-

आमसभा में अधिनियम एवं नियम अन्तर्गत वर्णित विषयों पर विचार के साथ साथ निम्न विषयों पर विचार किया जा सकेगा :-

बुनकर
बुरहानपुर

1. इन उपविधियों के अनुसार प्रबंध समिति/संचालक मण्डल का चुनाव/निर्वाचन कराना.
2. आगामी वर्ष के लिये संचालक मंडल द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रमों का अनुमोदन।
3. संचालक मंडल द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परिक्षित, आय व्यय पत्रक तथा अंकेक्षित लेन–देन पत्रकों पर स्वीकृति देना।
4. संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावित शुद्ध लाभ के विनियोजन पर स्वीकृति देना।
5. संचालक मंडल द्वारा प्रस्तुत आगामी वर्ष का बजट स्वीकृत करना।
6. अन्य संस्थाओं में जिसका संघ सदस्य हो, भेजे जाने हेतु प्रतिनिधि निर्धारित प्रणाली से निर्वाचन करना।
7. उपविधियों में संशोधन पर विचार करना।
8. संचालक मंडल द्वारा प्रस्तुत अन्य विषयों पर विचार करना।
9. संघ को किसी वित्तीय वर्ष में परिचालन घाटा होता है, वहाँ संचालक मण्डल उसके कारणों को साधारण निकाय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

साधारण निकाय, जहाँ संघ के कारबार के सामान्य अनुक्रम में घाटा हुआ है वहाँ उसके कारणों का परीक्षण करेगा और साधारण निकाय अपने परीक्षण के आधार पर परिचालन घाटे को उसके सदस्यों से और या आरक्षितियों से पूर्णतः या भागतः पूरा करने हेतु संकल्प कर सकेगा।

8) <u>प्रत्यायुक्तों का चुनाव :–</u>

1. 'ब' वर्ग के सदस्य उनके द्वारा चुने हुए प्रत्यायुक्तों के माध्यम से आम सभा मे भाग लेवेगें। आम सभा में 'ब' वर्ग के केवल प्रत्यायुक्त ही भाग लेगे एवं आम सभा की सूचना ऐसे प्रत्यायुक्तों को ही भेजी जावेगी।
2. 'ब' वर्ग के प्रत्येक 20 सदस्यो में से एक प्रत्यायुक्त चुना जायेगा। प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन के लिए समुहों का निर्धारण संचालक मंडल करेगा।
3. प्रत्यायुक्तों के चुनाव हेतु प्रबंध संचालक निर्वाचन अधिकारी होगा। निर्वाचन अधिकारी अपनी सहायता हेतु एक या अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

प्रबंधक
म. प्र. राज्य पावरलूम बुनकर
सहकारी संघ मर्या. बुरहानपुर

4. 'ब' वर्ग के प्रत्यायुक्तों का चुनाव आम सभा की बैठक के 60 दिन पूर्व संपादित कर दिये जायेगें।

संचालक मंडल का गठन :–

संचालक मण्डल में निम्नानुसार सदस्य होंगे। संचालक मण्डल का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का रहेगा :–

1. 'अ' वर्ग के 10 (दस) संचालक जो क्रमशः निम्न निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किये जायेंगे :–

1.	बुरहानपुर निर्वाचन क्षेत्र	5 संचालक
2.	जबलपुर निर्वाचन क्षेत्र	2 संचालक
3.	ग्वालियर निर्वाचन क्षेत्र	1 संचालक
4.	इन्दौर निर्वाचन क्षेत्र	1 संचालक
	उज्जैन निर्वाचन क्षेत्र	1 संचालक

2. 'ब' वर्ग के सदस्यों में से — 2 संचालक

3. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य सह. बैंक — 1 संचालक
अथवा उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि

4. आयुक्त, उद्योग संचालनालय म.प्र. भोपाल — 1 संचालक
या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि

5. पंजीयक, सहकारी संस्थायें, म.प्र. — 1 संचालक
या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि

6. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पावरलूम बुनकर संघ मर्या. पदेन — 1 संचालक

16 संचालक

टीप :– उपरोक्तानुसार निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार रहेगा :–

1.	बुरहानपुर	–	बुरहानपुर एवं बड़वानी जिले।
2.	जबलपुर	–	जबलपुर एवं रीवा राजस्व संभाग के जिले।
3.	ग्वालियर	–	ग्वालियर, चंबल, सागर राजस्व संभाग के जिले।
4.	इन्दौर	–	बुरहानपुर एवं बड़वानी जिलों को छोड़कर इन्दौर राजस्व संभाग के जिले।
5.	उज्जैन	–	उज्जैन,भोपाल,होशंगाबाद राजस्व संभाग के जिले।

प्रबंधक
म.प्र. राज्य पावरलूम बुनकर
सहकारी संघ मर्या. बुरहानपुर

2. संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा अपने मे से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा किसी निर्वाचित संचालक का पद रिक्त होने पर उसकी पूर्ति संचालक मण्डल उसी वर्ग के प्रतिनिधि का सहयोजन कर करेगा।

3 कोई भी व्यक्ति संस्था में अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचन के पात्र नहीं होगा, यदि वह संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य या जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगरीय स्थानीय निकाय, मंडी बोर्ड या मंडी समिति में कोई पद धारण करता है।

4 कोई भी व्यक्ति संस्था में किसी विर्निदिष्ट पद पर निर्वाचित होने या नियुक्त किये जाने का पात्र नहीं होगा और वह उस रूप में अपने पद धारण करने से परिविरत हो जावेगा, यदि वह उस संस्था में कोई विर्निदिष्ट पद निर्वाचन, सहयोजन या अपनी नियुक्ति या दोनों कालावधि को सम्मिलित करते हुए 2 लगातार कार्यकालों तक या 10 वर्षो की लगातार कालावधि जो भी कम हो धारण कर चुका हो। यह भी कि कोई भी व्यक्ति विर्निदिष्ट पद पर पुर्ननिवार्चित या पुर्ननियुक्त नही किया जायेगा, जब तक पूरे एक कार्यकाल के बराबर कालावधि का अवसान न हो जाय।

5 सहकारिता अधिनियम की धारा 52 (1) के अनुसार मध्यप्रदेश शासन की अंश पूँजी होने पर संस्था की साधारण अंशपूँजी में राज्य शासन की अंशपूँजी के अनुरूप राज्य शासन संस्था के संचालक मण्डल में संचालक नाम निर्दिष्ट करेगा।

संचालक मंडल की बैठके :–

1. संचालक मंडल की बैठक जब भी आवश्यकता होगी बुलाई जावेगी किसी भी दशा में तीन माह में एक बैठक अवश्य बुलाई जावेगी।

2. संचालक मंडल की बैठकों की सूचना बैठक की तिथि से कम से कम 7 (सात) दिन पूर्व सदस्यों को डाक प्रमाण–पत्र द्वारा भेजी जावेगी।

4. संचालक मंडल की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जावेगी तथा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में संचालक मंडल के किसी सदस्य को उक्त बैठक का अध्यक्ष चुना जावेगा। किसी भी विषय के निर्णय मे समान मत होने पर अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

संचालक
... हाथकरघा बुनकर
... बुरहानपुर

5. संचालक मंडल का कोई भी सदस्य बैठक मे उस समय उपस्थित नहीं रहेगा जब उससे संबंधित किसी विषय पर चर्चा अथवा निर्णय लिया जा रहा हो।

6. संचालक मंडल की बैठक में गणपूर्ति निर्वाचित सदस्यों मे से आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। गणपूर्ति के अभाव में सूचना पत्र के निर्धारित स्थान और समय के लिये स्थगित की जावेगी।

संचालक मंडल के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. संघ की सदस्यता हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत करना तथा अंशों का आवंटन अथवा हस्तान्तरण स्वीकृत करना।

2. संघ के कार्य हेतु समय समय पर आवश्यक मात्रा में अमानतें प्राप्त करने की शर्तें, मात्रा एवं ब्याज दर का निर्धारण करना।

3. संघ के वार्षिक प्रतिवेदन, लेन देन पत्रक एवं वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर वार्षिक आमसभा में प्रस्तुत करना।

4. संघ का वार्षिक बजट तैयार करना एवं स्वीकृति हेतु आमसभा को प्रस्तुत करना।

5. संघ के अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विचार करना तथा उनके परिपालन की व्यवस्था करना।

6. संघ के कार्य हेतु समय समय पर आवश्यकतानुसार कर्मचारियों के पद निर्माण करना। ऐसे पदों पर कर्मचारियों को नियुक्त करना, वेतनमान एवं भत्ते निर्धारित करना तथा त्रुटि करने वाले कर्मचारियों को दण्डित करना अथवा पद मुक्त करना। कर्मचारियों के लिए सेवा नियम, यात्रा नियम, भविष्य निधि नियम तैयार करना तथा उसकी अनुमति पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. भोपाल से प्राप्त करना।

7. संघ के व्यापार हेतु आवश्यक ऋण अथवा अनुदान शासन, राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त करना तथा उधार लिए धन की शर्तो का निर्धारण करना।

8. संघ के द्वारा उत्पादित वस्त्रों की प्रकिया हेतु आवश्यक भूमि, भवन, मशीनरी एवं उपकरण क्रय करना अथवा किराये पर या पट्टे पर प्राप्त करना अथवा देना।

9. संघ के उत्पादित वस्त्रों की समुचित विक्रय व्यवस्था हेतु कर्मचारी अथवा कमीशन एजेन्ट नियुक्त करना तथा विक्रय केन्द्र खोलना अथवा कन्साइनमेन्ट पर माल देकर विक्रय की व्यवस्था करना।

प्रवर्तक
म. प्र. राज्य पावरलूम बुनकर
सहकारी संघ मर्या. बुरहानपुर

10. संघ की संपत्ति का सामयिक निरीक्षण करना, संपत्ति की उपयोगिता या अनुपयोगिता पर विचार कर अनुपयोगी संपत्ति को मध्य प्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम या नियमों के अधीन खारिज (राईट–आफ) करना अथवा विक्रय करना। संघ की मशीन एवं भवन इत्यादि की मरम्मत की स्वीकृति देना।

11. संघ अथवा संघ के सदस्यों को लगने वाले कच्चे माल की खरीदी एवं बिक्री की नीति निर्धारण करना।

12. संघ द्वारा सदस्यों से खरीदे गये माल की अथवा उत्पादित माल की क्रय विक्रय नीति का निर्धारण करना।

13. संघ के नाम बैंकों में खाते की स्वीकृति देना व इन खातों के लेन देन हेतु व्यवस्था कायम करना।

14. संघ के व्यापार हेतु क्षेत्रिय कार्यालय अथवा विक्रय केन्द्र प्रान्त अथवा प्रान्त के बाहर खोलने की स्वीकृति प्रदान करना एवं उनके उचित संचालन की व्यवस्था करना।

15. संघ के कारोबार के संबंध में संघ की ओर से अथवा संघ के विरूद्ध प्रकरणों में कानूनी कार्यवाही करना अथवा पंच फैसले हेतु सोंपना अथवा समझौता करना। आवश्यकता होने पर कानूनी सलाहकार नियुक्त करना।

16. संघ का कारोबार चलाने हेतु कार्यकारिणी का अथवा उप समितियों का गठन करना, उन्हें संघ का कार्य सौंपना तथा कार्य संपादन हेतु आवश्यक अधिकार प्रदत्त करना।

17. संघ के पदाधिकारी, संचालक एवं कर्मचारियों के कार्य हेतु प्राधिकृत करना एवं उसके हेतु उन्हें अधिकार युक्त करना अथवा आवश्यकता पड़ने पर अधिकार वापस लेना।

18. संघ के व्यापार एवं उत्पादन के विभिन्न पहलुओं के लिये सहायक नियम बनाना।

19. संघ की किसी चल अचल संपत्ति को जिसमें अंश, प्रतिभूतियों एवं अधिकार परिपत्र भी सम्मिलित है, जो राज्य संघ के अधिनस्थ अथवा अधिकार में हो उसे संघ के लिए बिक्री करना, बंधक रखना, पट्टे या किराये पर देना अथवा अन्य किसी रीति से हस्तांतरण करना।

बुनकर
बुरहानपुर

20. इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 की धारा 20 में उल्लेखित किये किसी भी प्रतिभूतियों में संघीय संस्था जिसका संघ सदस्य हो, अंश क्रय करने में सीमित दायित्व वाली किसी संस्था के अंश, ऋण प्रपत्र या प्रतिभूतियों में अथवा राज्य शासन के निर्देशानुसार विनियोजन करने की स्वीकृति प्रदान करना।

21. संघ के व्यापार हेतु ऐसे समस्त अनुबन्ध करना जो संघ के उत्पादन तथा व्यापार के लिए आवश्यक हो।

22. उपनियमों के अन्तर्गत साधारण अथवा आवश्यकता होने पर विशेष आमसभा बुलाना। संघ की आमसभा अथवा संचालक मंडल की बैठकों की कार्यवाही की प्रतिलिपि बैठक के दिनांक से पन्द्रह दिन के अन्दर आयुक्त उद्योग म.प्र. एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. भोपाल प्रेषित करना।

(22) <u>संघ के पदाधिकारी</u> :–

उन प्रस्तावों के अधीन जो संचालक मंडल समय समय पर स्वीकृत करे संघ के विभिन्न पदाधिकारियों के अधिकार निम्नानुसार रहेंगे :–

1. **अध्यक्ष** – संघ के समस्त व्यवहारों तथा उसके अधिकारियों पर अध्यक्ष का सामान्य नियंत्रण रहेगा। अध्यक्ष संचालक मंडल द्वारा उसे प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करेगा तथा अत्यावश्यक प्रसंगों को छोड़कर कोई भी अधिकार तथा कर्तव्य उपाध्यक्ष अथवा प्रबंध संचालक अथवा किसी भी संचालक को प्रदत्त कर सकेगा।

2. **उपाध्यक्ष** – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा संचालक मंडल की सामान्य नीतियों को कियान्वयन हेतु अध्यक्ष के अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा।

3. **प्रबन्ध संचालक** – संघ के प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति सहकारिता/उद्योग विभाग के अधिकारियों में से मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी। प्रबंध संचालक संघ का पदेन सदस्य होगा।

4. संचालक मंडल द्वारा सौंपे अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त, प्रबन्ध संचालक के निम्नानुसार अधिकार एवं कर्तव्य होगें :–

   1. संघ के समस्त दैनिक कार्यो पर सर्वेक्षण करना एवं मार्गदर्शन करना तथा संघ के प्रशासन पर नियंत्रण करना। संचालक मंडल द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार संघ के उत्पादन एवं क्रय विक्रय की व्यवस्था करना।

बुनकर
बुरहानपुर

2 केवल उन क[illegible] छोड़कर जो प्रतिनियुक्ति पर हों या उद्योग संचालनालय द्वारा की गई हो संचालक मंडल के पूर्व अनुमोदन से वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना, सेवा मुक्त करना, अर्थ दंड देना अथवा निलम्बित करना किन्तु 3000/– से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के संबंध में उपरोक्त कार्यवाही हेतु संचालक मंडल की पूर्व अनुमति आवश्यक न होगी।

3. संघ के विभिन्न कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारण करना।

4. संचालक मंडल द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार संघ की ओर से तथा संघ के नाम पर चल या अचल संपत्ति के कय विकय संबंधी दस्तावेजों का निष्पादन करना। शासन, सदस्यों अथवा अन्य पक्षों की भागीदारी करना अथवा ऋण प्राप्त करने संबंधी आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करना।

5. संघ के व्यापार संबंधी कार्यकम तैयार करना एवं उसे स्वीकृति हेतु संचालक मंडल को प्रस्तुत करना। संघ का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदन तैयार कराकर संचालक मंडल को प्रस्तुत करना।

6. संघ पर ऋणों, दायित्वों, दावों और मांगो का भुगतान करना।

7. संचालक मंडल, कार्यकारिणी, उप समिति अथवा विशेष गठित समितियों की बैठक बुलाना।

8. संघ के प्रमुख कार्यपालन अधिकारी के नाते संघ के व्यवसाय एवं संघ के सभी कार्यो के लिए खर्च की स्वीकृति देने तथा खर्च करने के अधिकार प्रदत्त करना।

9. संघ की ओर से ऐसे प्रकरणों में जिनका समयाभाव के कारण संचालक मंडल अथवा कार्यकारिणी द्वारा विचार किया जाना संभव न हो एवं कानूनी दृष्टि तथा संस्था के हित में त्वरीत कार्यवाही आवश्यक हो, दावे दायर करना, बचाव करना अथवा अन्य कार्यवाही करना।

(23) संचालक मंडल के सदस्यों को देय भत्ता :–

संचालक मंडल एवं कार्यकारिणी सदस्यों के बैठकों में उपस्थित होने के लिए संचालक मंडल द्वारा बनाये तथा पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा स्वीकृत

नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता अथवा बैठक शुल्क या दैनिक भत्ता दिया जावेगा। संघ के किसी भी संचालक को अथवा सदस्य को संघ की सेवाये हेतु मानदेय या पारिश्रमिक आयुक्त उद्योग संचालनालय की पूर्व अनुमति से दिया जा सकेगा।

(24) उपनियमों में संशोधन :–

उपनियमों में कोई संशोधन, परिवर्तन या निरस्तीकरण या नये उपनियम तभी प्रभावशील माने जावेंगे जबकि संघ की साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित किये गये हो एवं आयुक्त उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा स्वीकृति उपरान्त सहकारी विधानानुसार विधिवत् पंजीकृत किए गए हो। संशोधन अथवा परिवर्तन पंजीकृत होने के दिनांक से प्रभावशील माने जावेंगे।

(25) उपनियमों की व्यवस्था :–

इन उपनियमों के प्रावधानों की रचना या उनकी व्याख्या करने या इनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में किसी प्रकार की शंका उपस्थित होने पर उसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस निर्णय से संतुष्ट न होने की दशा में प्रकरण पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. को भेजा जावेगा तथा उनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(26) विवाद :–

संघ के गठन, व्यवस्थापन, संचालन, प्रबंध एवं व्यापार से संबधित कोई विवाद संघ द्वारा अथवा विवादी पक्षों द्वारा पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश अथवा उनके मनोनीत व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। ऐसे विवाद मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाये अधिनियम एवं नियम के अधीन होंगे।

(27) कानूनी प्रकरण :–

समस्त कानूनी प्रकरण जिसमें संघ वादी अथवा प्रतिवादी हो संघ के प्रबंध संचालक द्वारा संघ की ओर से दायर किए जा सकेंगे।

(28) लाभ का वितरण :–

1. 31 मार्च को प्रतिवर्ष संघ के लेखे बन्ध कर दिए जावेंगे। वर्ष के अन्त के व्यापारिक अंतिम स्टाक का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो के आधार पर किया जावेगा।

प्रबंधक
बुनकर
सहकारी संघ मर्या., बुरहानपुर

2. व्यापारिक माल के स्कंध को छोड़कर अन्य स्कन्ध भवन, मशीनरी, यंत्र, फर्नीचर तथा अन्य अचल सम्पत्ति तथा सभी विनियोगो को जिनका बाजार मूल्य कम हो का अवक्षण आयुक्त उद्योग संचालनालय द्वारा दिये निर्देशों के अनुसार काटा जावेगा।

3. चंदा केवल ऐसी संस्थाओं अथवा संघों को दिया जा सकेगा जिसके लिए पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की गई हो।

4. संघ के आकस्मिक दायित्वों, शंका–स्पद एवं खराब ऋणों, सम्पत्तियों तथा दावों के लिए प्रावधान किया जावेगा।

5. बोनस संबंधी विधान के अन्तर्गत बोनस का वितरण एवं स्वीकृत मानदंय अथवा पारिश्रमिक के भुगतान उपरान्त शुद्ध लाभ का बंटवारा निम्नानुसार किया जावेगा:–

अ. शेष शुद्ध लाभ का 25 प्रतिशत रक्षित निधि में रखा जावेगा।

ब. शेष शुद्ध लाभ का 10 प्रतिशत शासन की अंशपूंजी वापिस करने हेतु निधि तैयार करने में रखा जावेगा।

स. अंशों पर लाभांश वितरण सवा छैः प्रतिशत से सामान्यतः अधिक नहीं होगा, किन्तु पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश की अनुमति से सहकारी विधान अन्तर्गत इस सीमा में बढोत्री संभव हो सकेगी।

द. संघ के सदस्य जो संघ के उत्पादन कार्य में संलग्न हो अथवा वे सदस्य जिनके द्वारा उत्पादित माल का कय विकय संघ द्वारा किया हो उन्हें उत्पादित माल अथवा उनके द्वारा बेचे माल के आधार पर प्रोत्साहन राशि या रिबेट दिया जा सकेगा। यह राशि शेष शुद्ध लाभ के 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी। इससे अधिक मात्रा में बोनस अथवा रिबेट दिए जाने हेतु आयुक्त उद्योग संचालनालय म.प्र. की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

इ. बची हुई रकम निम्नांकित निधियों मे से किसी एक या अधिक में सम्मिलित की जा सकेगी :–

क. भवन निधि
ख. मूल्य समीकरण निधि
ग. लाभांश समीकरण निधि
घ. कर्मचारी हित निधि

6. आम सभा की स्वीकृति तथा पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश की सम्मति के बिना रक्षित निधि में से किसी भी प्रकार का खर्च नहीं किया जा सकेगा। यह अविभाज्य होगा तथा कोई भी सदस्य उसमें से हिस्से की मांग नहीं कर सकेगा। रक्षित निधि एवं अन्य निधियों का विनियोजन पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार किया जावेगा। संघ के भंग कर दिए जाने पर उपनियमों के अन्तर्गत निधियों का उपयोग मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये नियमों के अनुसार किया जावेगा।

(29) सामान्य प्रावधान :–

1. इन उपविधियों में जहां जहां पर आयुक्त उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया है उसका तात्पर्य आयुक्त उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल अथवा ऐसे अधिकारी से जिसे आयुक्त उद्योग मध्यप्रदेश के अधिकार प्रदत्त हो या आयुक्त उद्योग मध्यप्रदेश द्वारा अधिकार दिए गए हो।

2. दि पावरलूम क्लॉथ को–ऑपरेटीव मार्केटिंग फेडरेशन लि0 बुरहानपुर जिसका कि पंजीयन कमांक डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./42 दिनांक 01/03/1973 जिसे मध्यप्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ में परिवर्तित किया गया है, उसकी समस्त लेनदारियां एवं देनदारियां अथवा अनुबंध, इकरारनामें इस संघ के माने जायेंगे।

3. संघ की एक सामान्य मुद्रा होगी जो प्रबन्ध संचालक के अधिकार (कस्टेडी) में रहेगी और संचालक मंडल के प्रस्ताव के फलस्वरूप अधिकृत संचालकों तथा प्रबन्ध संचालक द्वारा दस्तावेजों व अनुबन्धों पर उपयोग की जावेगी।

4. संघ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक खण्डवा, एवं सहकारी सूत मिल, बुरहानपुर से संबंधित रहेगा। राष्ट्रीय स्तर पर पावरलूम संघ की स्थापना होने की दशा में यह संघ उसका भी सदस्य रहेगा।

(30) इन उपविधियों के संबंध में किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर इस संबंध में पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, म.प्र. का निर्णय अंतिम होगा। "उपविधियां स्वीकृत एवं पंजीकृत"

—00—

सहकारी समितियां,
मध्य प्रदेश भोपाल